583

निग. 2805/15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग./2805/I/15

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

बाईसहाब पत्नी लक्ष्मण सिंह

निवासी ग्राम–धमउखेड़ी

तहसील–सिंरोज जिला–विदिशा

विरूद्ध

1. संजीव पुत्र मंगलिया अहिरवार

2. संतोष पुत्र मंगलिया अहिरवार

निवासीगण ग्राम–परमाखेड़ी

तहसील–सिरोंज जिला–विदिशा

3. कसीटी बाई पुत्री मंगलिया अहिरवार

पत्नी पानसिंह निवासी–ग्राम नरखेड़ा

जागीर तहसील–सिंरोज जिला–विदिशा

4. पुत्रीबाई पुत्री बारेलाल

निवासी ग्राम–आधारेला तहसील–सिरोंज

जिला–विदिशा

5 गीताबाई पत्नी बनवारी लाल

निवासी ग्राम–झुकरहोज तहसील–सिरोंज

जिला–विदिशा

श्री रमेश कुमार बाजपेयी, अधि. द्वारा आज दि. 26.8.15 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अनुविभागीय अधिकारी सिंरोज अपील प्रकरण क्रमांक 102/12–13 में पारित आदेश दिनांक 07–08–2015 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत करती है–

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध एवं मानमाना योग्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, अनावेदक के हित में पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध बारेलाल पुत्र हल्का ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी निर्विवाद रूप से बारेलाल का स्वर्गवास दिनांक 30–10–2014 को हो गया था.

XXIX(a)-BR(H)-11

503

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2805-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	